



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक:- 30.03.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 66/26 धारा 66/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 66/26 धारा 66/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01.राहुल पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्राम टिलिया कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 12.03.2026 को अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज में चार पहिया अर्टिगा कार की मांग करना व मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करना व दहेज की मांग को लेकर उसे फांसी लगाकर मार देने सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 13.03.2026 को दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 66/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट बनाम 1. (पति) राहुल यादव पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह यादव आदि निवासीगण ग्राम टिलिया कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत हुआ।

पूछताछ का विवरण- अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया ।

अभियुक्त राहुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 01.मु0अ0सं0 66/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
- 02.अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 01.निरीक्षक श्री मुन्नालाल
- 02.उ0नि0 श्री अनिल सिकरवार
- 03.का0 अजय तेवतिया
- 04.म0का0 पूजा कुमारी

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलम्बन

फतेहगढ़ पुलिस



* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

दिनांक-30.03.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. गौतम पुत्र अमरसिंह निवासी रठौरा नीटा थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ 2. सोनू पुत्र हरमोहन सिंह निवासी नगला दलजीत सिंह थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 446/2017 वाद संख्या 109/2017 धारा 354ए, 306, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो -01 कोर्ट द्वारा दिनांक 30.03.2026 को अभियुक्त गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 5-5 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 12000-12000/- रुपये अर्शदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री प्रदीप कुमार



को0 मो0 म0हे0का0 मंजूला



पैरोकार - का0 सुमित कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दिनांक-30.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रुपसिंह 2. सोबरन 3. चेताराम 4. रामलखन पुत्र गण श्रीकृष्ण निवासीगण हैवतपुर गढिया थाना मऊदरवाजा जनपद फरुखाबाद मु०अ०स०- 761/2013 वाद संख्या 37/2016 धारा 307/34,323/34,504,506 भा०द०वि० थाना को० फरुखाबादजनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा०न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-2/एससी/एसटी कोर्ट द्वारा दिनांक 30.03.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 07 वर्ष का कारावास की सजा व 35000-35000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्री कृष्ण कुमार पाण्डे



को० मो० हे० का० प्रमोद कुमार



पैरोकार का० राजीव

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दिनांक-30.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रनवीर 2.जनवेश उर्फ जनवीर यादव 3.संजय 4. शैलेश पुत्र रुकमंगल सिंह निवासीगण हैवतपुर गढिया थाना मऊदरवाजा जनपद फरुखाबाद मु०अ०स०- 761ए/2013 वाद संख्या 48/2016 धारा 323/34,325/34 भा०द०वि० व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट थाना को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्नर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-2/एससी/एसटी कोर्ट द्वारा दिनांक 30.03.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 07 वर्ष का कारावास की सजा व 20000-20000/- रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया । SC/ST एक्ट में दोषमुक्त किया गया ।



एडीजीसी -श्री अनुज कटियार



को० मो० हे० का० प्रमोद कुमार



पैरोकार का० राजीव